मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने जनसुनवाई में आए प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की जनसुनवाई

हाथों हाथ हुआ कुछ भू-रुपांतरण प्रकरणों का निस्तारण

- **जनसुनवाई में आए लोग अपनी समस्याओं के त्वरित निस्तारण से काफी प्रसन्न नज़र आए तथा उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया।**

जयपुर, 24 मार्च। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर जनसुनवाई की और परिवेदनाओं का त्वरित निस्तारण किया।

मुख्यमंत्री ने जनसुनवाई में आए प्रत्येक व्यक्ति से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

जनसुनवाई के दौरान जयपुर निवासी वेद चतुर्वेदी के भू-रूपांतरण प्रकरण का कुछ ही घंटों में निस्तारण किया गया। चतुर्वेदी ने बताया कि उनके सुंदर नगर (मानसरोवर) स्थित 840 वर्ग गज आवासीय भू-खण्ड का होटल उपयोग हेतु भू-रूपांतरण का मामला लंबित था।

मुख्यमंत्री शर्मा को इस संबंध में जब उन्होंने अवगत कराया तो इसका तुरंत ही निस्तारण कर दिया गया। मात्र चार घंटे के अंदर भू-रूपांतरण कार्य के आदेश जारी कर दिए गए।

आमजन से जुड़े कई प्रकरणों में मुख्यमंत्री ने तुरंत कार्यवाही की, इसके लिए परिवादियों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

जनसुनवाई के दौरान, मुख्यमंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर निगम, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी, सार्वजनिक निर्माण एवं चिकित्सा सहित विभिन्न विभागों की आमजन से संबंधित समस्याएं सुनीं तथा कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कर परिवादियों को राहत दी। जनसुनवाई के दौरान, आमजन ने राज्य बजट वर्ष 2025-26 में दी गई सौगातों के लिए शर्मा का आभार जताया तथा दुपट्टा ओढ़ाकर उनका अभिनन्दन किया। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधि और आमजन उपस्थित थे।

जनसुनवाई में बालोतरा की बबीता कुमारी ने मुख्यमंत्री को दांतों से संबंधित बीमारी से अवगत करवाया तथा शीघ्र इलाज के लिए निवेदन किया। इस पर मुख्यमंत्री ने बबीता कुमारी को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

पाली से आई कैंसर रोग से ग्रसित गायत्री ने कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह किया। इस पर शर्मा ने गायत्री को निःशुल्क कैंसर की दवा उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। बबीता और गायत्री अपनी परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण से बेहद खुश नजर आईं और उन्होंने मुख्यमंत्री को बार-बार धन्यवाद दिया।

नागपुर हिंसाः दो आरोपियों के घर गिराने पर हाईकोर्ट का स्टे

मुंबई, 24 मार्च। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नागपुर हिंसा मामले में दो आरोपियों के घरों को गिराने की प्रशासनिक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में प्रशासन के रवैये को मनमाना और दमनकारी बताते हुए कड़ी फटकार भी लगाई। बता दें कि, नागपुर में हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने आरोपियों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की थी, जिसे लेकर अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले की अगली सुनवाई जल्द होने की संभावना है।

हालांकि, कोर्ट का आदेश आने से पहले ही फहीम खान के दो मंजिला घर को तोड़ा जा चुका था। वहीं, कोर्ट के आदेश के बाद यूसुफ शेख के घर के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई रोक दी गई। वहीं, फहीम खान और यूसुफ शेख ने अपने घरों की तोड़फोड़ के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। इस पर जस्टिस नितिन साम्बरे और वृषाली जोशी की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने सवाल किया कि बिना सुनवाई के घरों को कैसे तोड़ा गया? फहीम खान के वकील अश्विन इंगोले ने बताया कि कोर्ट ने सरकार और नगर निगम से जवाब मांगा है और कहा है कि अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। अगर तोड़फोड़ अवैध पाई गई, तो नुकसान की भरपाई प्रशासन को करनी होगी।

सोमवार सुबह पुलिस सुरक्षा में नगर निगम ने फहीम खान का घर गिराना शुरू किया।

45 पुराने...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

विपक्षी सदस्यों ने चर्चा के दौरान सवाल खड़े करते हुए कहा कि बिल को जल्दबाजी में लाया गया है। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि कई और भी ऐसे कानून हैं, जो अप्रचलित हैं। उन्हें भी शामिल किया जाए, इसलिए इस बिल को फिलहाल प्रवर समिति को भेजा जाए।

विधायक रोहित बोहरा ने कहा कि 45 अनुपयोगी कानूनों को निरस्त करने का जो बिल लाए हैं, उसकी कॉपी पहले ही विधायकों को भेज दी जाती, तो सब पढ़ लेते। हम इस बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन जो भी बिल ला रहे हैं, उसे पढ़ने का तो मौका मिलना ही चाहिए, बिल लेकर आ जाओगे और हम गर्दन हिला कर उसका समर्थन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता।

जेल प्रहरी भर्ती पेपरलीक, दो आरोपी गिरफ्तार

एसओजी ने 2018 में हुई इस परीक्षा का आयोजन करवाने वाली कम्पनी के प्रोजैक्ट मैनेजर व एक अन्य को गिरफ्तार किया है

- **जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में एटीएस पहले ही 7 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, एसओजी भी अलग कार्यवाही कर कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।**

एसओजी के ए.डी. डी.जी.पी. वी.के. सिंह

जयपुर, 24 मार्च। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी ने परीक्षा करवाने वाली टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का आयोजन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जोधपुर की ओर से करवाया गया था और उसने परीक्षा का जिम्मा टीसीएस कम्पनी को दिया था। इस मामले में अरेस्ट दूसरे आरोपी ने इस गैंग को उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई थी।

एडीजी एसओजी-एटीएस वीके सिंह ने बताया कि एसओजी की टीम ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 के मामले में देहरादून से करण कुमार निवासी जमशेदपुर, झारखंड और टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह निवासी झारखंड को गिरफ्तार किया है। एसओजी ने करण के पास मिले मोबाइल व लैपटॉप जब्त कर लिये हैं। आरोपी करण कुमार से पूछताछ में सामने आया कि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 के पेपर उसे उस समय टीसीएस कम्पनी में कार्यरत प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह ने उपलब्ध करवाए थे। चूंकि आरोपी की ओर से दी गई सूचना सही प्रतीत होने का मुख्य कारण यह है कि यह परीक्षा टीसीएस कम्पनी द्वारा ही सम्पन्न कराई गई थी तथा परीक्षा कराने का जिम्मा सरदार पटेल युनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा टीसीएस कम्पनी को दिया गया था। आरोपी करण द्वारा इस गैंग को उत्तर कुंजी उपलब्ध करवाई थी।

जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले में एटीएस पहले जितेन्द्र चौधरी, अजय यादव, सुरेश चौधरी, विकास, राजेश, जितेन्द्र राव व राजेन्द्र गुर्जर को गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एसओजी अलग कार्रवाई करके कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। अब तक एसओजी व एटीएस जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में एक दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी हैं।

गौरतलब है कि ऑनलाइन परीक्षा की जिम्मेदारी सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने टीसीएस कंपनी को दी थी। जेल प्रहरी परीक्षा का पहला चरण 20 और 21 अक्टूबर और दूसरा चरण 27 और 28 अक्टूबर का था। आरोपियों ने 28 अक्टूबर को पहली पारी का पर्चा लीक कर दिया था। इसके बाद, यह मामला सामने आया था। एटीएस व एसओजी ने पर्चा लीक करने वाले रैकेट का 29 अक्टूबर को खुलासा किया था और 9 जनों को गिरफ्तार किया था। पर्चा लीक होने के बाद, जेल विभाग ने पहली पारी की परीक्षा को निरस्त कर दिया था।

ग्रीनलैण्ड को अमेरिका का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

व अन्य महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में बेहद जरुरी होते हैं। रुस और चीन की भी इन खनिजों में गहन रुचि है।

अमेरिकी प्रवक्ताओं ने ग्रीनलैंड के लोगों से कहा है कि अगर इसे अमेरिका अपने में मिला लेता है तो अमेरिका इसकी पूरी देखभाल करेगा और अन्य ताकतों की लालची नज़रों से इसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अमेरिका के आश्वासन के बाद भी द्वीप के लोगों की चिंताएं कम नहीं हुई हैं। ये लोग डेनमार्क से आज़ादी के लिए लम्बे समय से संघर्षरत हैं। द्वीप की विधानसभा के चुनावों के साथ, अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया पर काम चल रहा है। नए अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप जोरशोर से दावा कर रहे हैं कि औपचारिक प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही ग्रीनलैंड अमेरिकन स्टेट बन जाएगा।

ऐसा लग रहा है कि दुनिया से मध्यकालीन युग में आ गई है और संप्रभु राष्ट्रों के पारस्परिक संबंध नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं है।

कर्नाटक हनी ट्रैप केस में सुप्रीम कोर्ट जनहित याचिका की सुनवाई करेगा

- **जनहित याचिका, धनबाद के एक वकील बरूण कुमार सिंह ने दायर की है।**

नई दिल्ली, 24 मार्च। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री और न्यायाधीशों सहित, कई अन्य लोगों को कथित रूप से हनी ट्रैप में फंसाने की घटना की जांच का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करेगा। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता बिनय कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि मामले की सुनवाई सोमवार या मंगलवार को की जाएगी। धनबाद निवासी याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता बरुण कुमार सिंह ने शीर्ष अदालत से शीघ्र सुनवाई की गुहार लगाते हुए मामले का विशेष रूप से उल्लेख करने के बाद यह सहमति व्यक्त की गई।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि कर्नाटक राज्य विधानमंडल में बहुत गंभीर और परेशान करने वाले आरोप लगाए गए हैं कि राज्य का मुख्यमंत्री बनने की चाह रखने वाला एक व्यक्ति कई लोगों को हनी ट्रैप में फंसाने में सफल रहा है, जिनमें न्यायाधीश भी शामिल हैं।

याचिका में यह निर्देश देने की मांग की गई है कि घटना की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी, यानी केन्द्रीय जांच ब्यूरो या एक विशेष जांच दल द्वारा की जानी चाहिए, जिसमें ईमानदार पुलिस अधिकारी शामिल हों और जो कर्नाटक राज्य के नियंत्रण या प्रभाव के अधीन न हों। जांच के बाद रिपोर्ट इस अदालत को प्रस्तुत की जाए। याचिका में यह भी कहा कि जांच की निगरानी इस न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति द्वारा की जानी चाहिए।

याचिका में कहा गया है, निगरानी समिति को उन सभी अधिकारियों/व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच करनी चाहिए, जिन्होंने इस घटना से प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाया।

जनहित याचिका कहा गया है, आरोप एक मौजूदा मंत्री द्वारा लगाए गए हैं, जिन्होंने खुद को पीड़ित बताया है, जिससे गंभीर आरोपों को विश्वसनीयता मिली है। इतना ही नहीं, सरकार के एक अन्य मंत्री ने न केवल पहले मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों को दोहराया है, बल्कि आरोप लगाया है कि घोटाले का पैमाना और अनुपात वर्तमान में दिखाई देने वाले पैमाने से कम से कम दस गुना अधिक है। याचिका में यह भी कहा गया है, कई मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया के कारण पहले ही बहुत शोर-शराबा हो चुका है। ऐसे में यह जरूरी है कि यह अदालत देश की न्यायिक प्रणाली में प्रतिष्ठा और जनता के विश्वास को बचाने के लिए कदम उठाए।

याचिका में कहा गया है, यदि न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण निर्णय देने के लिए ब्लैकमेल किया जा सकता है या उन्हें मजबूर किया जा सकता है, तो कानून का शासन स्वयं ही ध्वस्त हो जाएगा, जिससे अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय को बढ़ावा मिलेगा।

अब सांसदों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दरअसल, उस समय विपक्षी भाजपा मुस्लिमों को 4 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का विरोध कर रही थी।

विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष के राजनैतिक दल जनता के दुख-दर्दों की उपेक्षा करने वाले तथा अपने निजी हितों का ख्याल रखने वाले हो गये हैं तथा सरकारों के ऐसे कदमों से आम जनता में राजनेताओं के प्रति कटुता में और वृद्धि होगी।

कोई यह नहीं मानता कि सांसदों या पूर्व सांसदों को बेहतर वेतन नहीं मिलना चाहिये।

लेकिन, वेतन में की गई इस वृद्धि से कानून-निर्माताओं और आम लोगों के बीच की असमानता और ज्यादा स्पष्ट हो गई है।

आज की गई वृद्धि से, एक पूर्व सांसद की आय एक भारतीय वर्कर की औसत आय की दोगुनी से अधिक हो गई है, जबकि, वर्तमान सांसद की आय उसकी करीब नौगुनी हो गई है।

जस्टिस वर्मा के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

याचिका में जस्टिस वर्मा, जिनके घर से कथित रुप से भारी कैश मिला है, पर मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को निर्देश देने की मांग की गई है

- **याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित जजों की कमेटी को जस्टिस वर्मा के घर आग लगने की घटना की जांच करने का अधिकार नहीं है। घटना भारतीय न्याय संहिता के तहत संज्ञेय अपराध है।**

नयी दिल्ली, 24 मार्च। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर आग लगने के बाद कथित तौर पर मौके से बेहिसाब रुपए मिलने के मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश पुलिस को देने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता मैथ्यूज जे नेदुम्परा, हेमाली सुरेश कुर्ने, राजेश विष्णु आद्रेकर और चार्टर्ड अकाउंटेंट मंशा निमेश मेहता ने संयुक्त रूप से दायर की है। उन्होंने अपनी याचिका में न्यायमूर्ति वर्मा, केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर और न्यायाधीशों की समिति के सदस्यों को मामले में पक्ष बनाया गया है।

याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय से दिल्ली पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और प्रभावी तथा सार्थक जांच करने का निर्देश देने का आदेश मांगा है।

याचिका में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की ओर से 22 मार्च को गठित तीन सदस्यीय न्यायाधीशों की समिति को न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर आग लगने की घटना की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है। वह घटना भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत विभिन्न संज्ञेय अपराधों के दायरे में आती है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि समिति को इस तरह की जांच करने का अधिकार देने का निर्णय शुरू से ही निरर्थक है, क्योंकि कोलीजियम (शीर्ष अदालत की) खुद को ऐसा आदेश नहीं दे सकता, जबकि संसद या संविधान ने ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया है।

याचिका में आगे कहा गया है, जब अग्निशमन बल/पुलिस ने आग बुझाने के लिए अपनी सेवाएं दीं, तो यह बीएनएस के विभिन्न प्रावधानों के तहत दंडनीय संज्ञेय अपराध बन गया और पुलिस का कर्तव्य है कि वह मुकदमा दर्ज करे।

याचिका में दलील दी गई है कि के वीरास्वामी बनाम भारत संघ (1991) में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह निषिद्ध किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की पूर्व अनुमति के बिना किसी उच्च न्यायालय या शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। याचिका में कहा गया है, जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो उसका कर्तव्य है कि वह मुकदमा दर्ज करे। हालांकि, वीरस्वामी मामले में उच्चतम न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 154 के तहत कोई भी आपराधिक मामला तब तक दर्ज नहीं किया जाएगा, जब तक कि मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श न किया जाए।

अच्छा हुआ कोचिंग बिल प्रवर समिति को सौंपा गया

निर्दलीय विधायकों ने ही नहीं भाजपा के कुछ विधायकों ने भी कोचिंग बिल में जमकर कमियां निकालीं

- **भाजपा के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सर्राफ ने कहा, यह कानून आया तो 60 हजार करोड़ रूपए का यह उद्योग राज्य के बाहर चला जाएगा, हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे अफरशाही हावी हो जाएगी।**
- **निर्दलीय विधायक मनोज न्यांगली ने कहा, बिल में यह नहीं बताया है कि एक कक्षा में कितने बच्चे बैठ सकते हैं।**
- **भाजपा विधायक अनिता भदेल ने कहा, प्रदेश व केन्द्र दोनों जगह भाजपा सरकार है, फिर भी केन्द्र सरकार की गाइडलाइन की उपेक्षा की गई है।**
- **नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तंज कसा, ऐसा लगता है कि किसी 5वीं पास ने विधेयक तैयार किया है, इसमें आत्महत्याओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है।**

जयपुर, 24 मार्च। राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल भी अटक गया है। बिल पर विरोध के चलते इसे प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस के दौरान भाजपा व निर्दलीय विधायकों ने ही इसके प्रावधानों का विरोध किया।

कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस के दौरान भाजपा विधायक और सत्तारूढ़ पार्टी के उम्र में सबसे वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ ने इसके प्रावधानों का खुलकर विरोध किया। सराफ ने इस बिल पर प्रवर समिति को भेजने की मांग की। सराफ ने कहा कि यह बिल अगर मौजूदा स्वरूप में पारित हो गया तो कोचिंग संस्थान राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि हजारों शिक्षक बेरोजगार हो जाएंगे और 60 हजार करोड़ का कोराबार छोटा हो जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित करते हुए कालीचरण सराफ ने कहा कि इस बिल से अफसरशाही हावी हो जाएगी। सराफ ने मांग की कि इस बिल पर पहले कोचिंग संस्थानों, जनता, स्टूडेंट और शिक्षकों -सब से बात होनी चाहिए। कालीचरण ने बिल की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें स्टेट और जिला लेवल पर कमेटी बनाने का प्रावधान कर दिया, परन्तु पहले से ही कलेक्टर 50 कमेटियों का अध्यक्ष होता है, उस पर यह अतिरिक्त भार क्यों डाला जा रहा है। कालीचरण का कहना था कि बिल में वर्णित कमेटी में स्वयंसेवी संस्थाओं, जूडिशियरी का कोई भी व्यक्ति नहीं है, "कमेटी में सरकारी अफसर हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि नहीं है। इसमें जूडिशियरी का प्रतिनिधि भी होना चाहिए।" शराफ ने कहा कि केन्द्र गाइडलाइन दी थी कि इस तरह का सिस्टम विकसित हो कि कोई बच्चा 2 दिन गैर हाजिर रहता है तो उसकी सूचना उसके माता-पिता को दी जानी चाहिए, वह प्रावधान इस बिल से गायब है। सराफ का कहना था कि इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित मत कीजिए, अगर ऐसा किया तो 60 हजार करोड़ का कोचिंग कारोबार राजस्थान से बाहर शिफ्ट हो जाएगा, हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे।

निर्दलीय विधायकों ने भी बिल का विरोध किया। सादुलपुर के विधायक मनोज न्यांगली ने बिल की समीक्षा करते हुए कहा, बिल में यह तो बताया गया है कि कोचिंग इन्स्टीट्यूट में पढ़ा रहे अध्यापकों को, कब-कब अवकाश मिलेंगे, परनतु यह नहीं बताया गया है कि एक अध्यापक एक दिन में कितनी कक्षाएं पढ़ा सकता है और उसकी कक्षा में कितने छात्र बैठे होंगे। उन्होंने कहा कि बिल में इस विषय पर तो लिखा गया है कि एक छात्र के कोचिंग इन्स्टीट्यूट की कक्षा में कम से कम एक वर्ग मीटर की जगह होगी, परन्तु कक्षा के आकार के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। उन्होने कहा कि विधेयक में यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि एक कक्षा का आकार अधिक-से-अधिक कितना विशाल हो सकता है और उसमें कितने विद्यार्थी पढ़ाये जा सकते हैं।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक कक्षा में 200-300 छात्रों का बैंच नहीं हो।

बिल का विरोध करते हुए अजमेर पूर्व से भाजपा विधायक, अनिता भदेल, ने शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में और केन्द्र में दोनों जगह भाजपा सरकार है, फिर भी हमारी सरकार, केन्द्र सरकार की गाइडलाइन को अनदेखा क्यों कर रही है। केन्द्र की गाइडलाइन में स्पष्ट कहा गया है कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग में नहीं डाला जाए, फिर भी इस गाइडलाइन को बिल में अनदेखा कर रखा है, यह उचित नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश में दस लाख युवा आबादी घटी, लेकिन आत्महत्याएं 6654 से 13044 हो गईं, पांच साल में 87 बच्चों ने आत्महत्या की और इनमें से 60-62 अकेले कोटा में हुई। उन्होने कहा कि प्रावधान में गरीब बच्चों के लिए कोई अधिकार नहीं है। शिक्षा मंत्री पर तंज कसते हुए जूली बोले, बिल के प्रावधान देखकर लगता है कि किसी पांचवी पास व्यक्ति ने इसे बनाया है। उन्होंने हाईकोर्ट के आदेश का वर्णन करते हुए कहा कि अदालत ने भी आत्महत्याओं को लेकर प्रसंज्ञान लिया, उसके अनुरूप कोई प्रावधान क्यों नहीं है? उन्होंने कहाकि भ्रामक विज्ञापनों पर अंकुश, 25 बच्चों पर 1 शिक्षक, सेल्फ स्टडी मोटिवेशनल प्रावधान क्यों नहीं हैं, सबको एक ही लाठी से हांका जा रहा है, बड़े और छोटे कोचिंग के अलग नियम बनें।

कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि बिल में गरीब बच्चों की शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं है। आरटीई कानून कोचिंग में भी लागू हो। सरकार भी कोचिंग संस्थान चला सकती है।

कोचिंग रेगुलेशन बिल पर बहस के दौरान, कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि एक डिप्टी सीएम ने एक फिल्म अवॉर्ड फंक्शन 'आईफा' के लिए 100 करोड़ दिए हैं, जबकि डिप्टी सीएम ने इतनी ही रकम प्रदेश के छात्रों और युवाओं के लिए खर्च की है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि इस नीति से प्रदेश की परीक्षा प्रणाली कैसे बेहतर बनाई जाएगी, क्या इनके अध्ययन पर केवल 100 करोड़ रुपये खर्च होना चाहिए।

निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने आत्महत्याओं को लेकर कहा, हमारे युवा आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। भाटी ने कहा कि बिल कुछ और कह रहा है और सिचुएशन कुछ अलग है। उन्होंने कहा कि आज के समय में 12वीं के छात्र हँसना भूल चुके हैं, कोचिंगों में जो तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों पर इस लेवल का दबाव रहता है कि परिवार के साथ बैठ ही नहीं पाते हैं।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908